

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१६

### मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) विधेयक, २०१६

३१ मार्च, २००७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए मंजूर की गई थीं, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सर्वे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१६ है।

संक्षिप्त नाम।

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियाँ, जिनका कुल योग रूपये पैंतीस करोड़, निन्यानवे लाख, चाँतीस हजार, पांच सौ छब्बीस होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी।

३१ मार्च, २००७ वर्ष के समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रूपये ३५,९९,३४,५२६ कर्ज दिया जाना।

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने विनियोग के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियाँ, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २००७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी।

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

| (१)                | (२)                        | (३)          |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| अनुदान का संख्यांक | सेवाएँ और प्रयोजन          | आधिकाय       |
|                    |                            | मतदत्त       |
|                    |                            | रूपये        |
| २४.                | लोक निर्माण (सड़क तथा पुल) |              |
|                    | राजस्व                     | २,४८,३२,३२२  |
|                    |                            | ०            |
|                    |                            | २,४८,३२,३२२  |
| २५.                | लोक निर्माण (सड़क तथा पुल) |              |
|                    | पूँजीगत                    | ५,७२,२४,८२९  |
|                    |                            | ०            |
|                    |                            | ५,७२,२४,८२९  |
| २६.                | लोक निर्माण भवन            |              |
|                    | राजस्व                     | २७,७८,७७,३७५ |
|                    | योग :                      | ३०,८७,०९,६९७ |
|                    |                            | ०            |
|                    |                            | २७,७८,७७,३७५ |
|                    |                            | ५,७२,२४,८२९  |
|                    |                            | ३५,९९,३४,५२६ |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भास्त के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, प्रध्यप्रदेश राज्य बी संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, २००७ की समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार के व्यय के हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल : तारीख २२ जुलाई, २०१६.

मिथुन ने इसी बात को अपने विचार में लिया है। उनके अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित करवाया जाना चाहिए।

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.